NIC

संख्या– ✓ /XVIII-(2)/18-4(2)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 11 सितम्बर, 2018

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में एस.पी.ए. (आर) के अंतर्गत पिथौरागढ़ वन प्रभाग के अंतर्गत पातों से रालम पैदल बटिया एवं बौना से सुमदुम–सोबला पैदल मार्ग के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यो हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वन एवं पर्यावरण विभाग की पत्रावली संख्या–12(41)/2014 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013 में आयी भीषण प्राकृतिक आपदा, बाढ़ एवं बादल फटने आदि के कारण क्षतिग्रस्त पिथौरागढ़ वन प्रभाग के अंतर्गत कार्यदयी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा गठित 02 कार्ययोजना पातों से रालम पैदल बटिया एवं बौना से सुमदुम–सोबला पैदल मार्ग के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यो हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन क्रमशः ₹ 110.71+377.65 लाख, कुल ₹ 488.36 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एस.पी.ए.–आर के अंतर्गत पातों से रालम पैदल बटिया एवं बौना से सुमदुम–सोबला पैदल मार्ग के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यो हेतु प्रस्तुत आगणन ₹ 110.71+377.65 लाख, इस प्रकार कुल ₹ 488.36 लााख की धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि (₹ 100.00+300.00) कुल ₹ 400.00 लाख (₹ चार करोड़ मात्र) की धनराशि प्रश्नगत परियोजना हेतु आहरित कर व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– वर्णित योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा सी.एस.एस./केन्द्र पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देश, मानकों एवं नियमों का पालन किया जायेगा तथा तत्काल सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में संबंधित जिलाधिकारी/प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

3– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4– कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक कदापि न किया जाय।

5– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

7– विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।

9– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

10– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

11– आहरण एवं वितरण अधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी.एम.–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

12– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड/सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

13– त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

14– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रश्नगत चालू कार्यों का मासिक रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

15– यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उल्लिखित कार्यों/योजनाओं पर मानकानुसार यथाप्रक्रिया भारत सरकार आदि का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। आंगणन में स्वीकृत डिजाइन/मानक एवं दरों के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

16– यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु वन एवं पर्यावरण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी। स्वीकृत की जा रही योजनायें किसी अन्य मद से पूर्व में स्वीकृत न की गई हो, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की दोहराव (Duplicacy) की स्थिति के लिये विभाग के प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

17– उक्त दोनों योजनाओं हेतु अवशेष ₹ 88.36 लाख धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में वन विभाग की अन्य परियोजनाओं से हो रही बचतों से किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2– यह धनराशि आपदा 2013 से हुई क्षतियों के पुनर्निर्माण के लिये है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यो के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा। इसके लिये सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग उत्तरदायी होंगे।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–06 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–0104–एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अन्तर्गत कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं हेतु अनुदान–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3/(150)/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–2429(1)/XVIII-(2)/18-4(2)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
6– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग अस्थायी प्रखण्ड, डीडीहाट, पिथौरागढ़।
7– मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पिथौरागढ़।
8– निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– वित्त अनुभाग–1 एवं 5, उत्तराखण्ड शासन।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या– 2429 /XVIII-(2)/18-4(2)/2017, दिनांक 11 सितम्बर, 2018 का संलग्नक

(लाख ₹ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	मंग प्रस्ताव (लाख ₹ में)	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि
1	पातों से रालम पैदल बटिया मार्ग (30 कि.मी.)	110.71	100.00
2	बौना से सुमदुम–सोबला पैदल मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य	377.65	300.00
	कुल योग	**488.36**	**400.00**

(₹ चार करोड़ मात्र)

(अमित सिंह नेगी)
सचिव